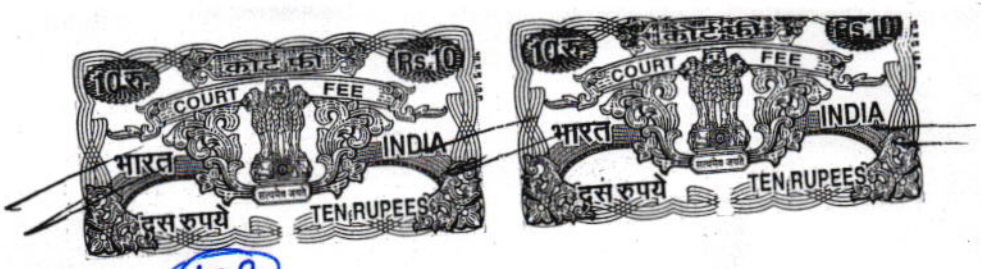

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(108)

समक्ष-सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

नि.ग – 1585 – II – 16

प्र.क्र.

1/ नवीन समाधिया आयु 60 साल) पुत्रगण
2/ अनिल समाधिया आयु 52 साल) स्वर्गीय
3/ संतोष समाधिया आयु 48 साल) सूरजप्रसाद समाधिया
4/ रेखा समाधिया आयु 36 साल विधवा गिरीशसमाधिया
5/ राहुल समाधिया आयु 14साल पुत्र स्व. गिरीशसमाधिया
6/अभिषेक समाधिया आयु 12साल पुत्र स्व. गिरीशसमाधिया
क्र.5 व 6 अवयस्क द्वारा संरक्षिका माता रेखा- समाधिया
सभी निवासी पुराना बस स्टेण्ड गंज सीहोर तहसील जिला
सीहोर (म.प्र.)----------------------------------निगरानीकर्तागण

(78)
श्री ... अभिभाषक द्वारा आज दि. 17/3/16 को पेश ... 17/3/16

विरुद्ध

1/शकुन्तलाबाई तथाकथित पत्नि स्व.भगवानदयाल समाधिया पुत्री भागीरथ वयस्क निवासी तलावली चान्दा इन्दौर म.प्र.
2/कुसुम पत्नि राजेन्द्र प्रसाद वयस्क निवासी ग्राम व पोस्ट बाजना तहसील माथ जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)-
3/म.प्र.शासन द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर सीहोर-----------रेस्पान्डेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959
विरूद्ध आदेश दिनांक 01/03/2016 प्र.क्र.5/अपील/2013-14
शकुन्तलाबाई विरूद्ध नवीन समाधिया व अन्य पारित द्वारा
अतिरिक्त कलेक्टर महोदय सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.)

महोदय,

निगरानीकर्तागण मा.अधि.न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित एंव असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

-:: प्रकरण के तथ्य :-

1- यहकि निगरानीकर्तागण की माता श्रीमति कमलाबाई के ... तहसील अधिकारी द्वारा प्र.क्र.84/अ-6/93-94 विधिवत दर्ज कर दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1585–दो/2016 जिला सीहोर

नवीन समाधिया आदि विरूद्ध शकुन्तलाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22 –8–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–15 के विपरीत बिना दस्तावेजी साक्ष्य जिन पर उभय पक्षों को एक दूसरे पर प्रतिपरीक्षण करने का अवसर न दिया जाकर अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर ने रिकार्ड पर उपलबध तथ्यों को न्यायाचित मू इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–15 के विपरीत बिना दस्तावेजी साक्ष्य जिन पर उभय पक्षों को एक दूसरे पर प्रतिपरीक्षण करने का अवसर न दिया जाकर अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर ने रिकार्ड पर उपलबध तथ्योंको न्यायोचित मूल्यांकन किये बिना साक्ष्य की विषय वस्तु वाले अभिवचनों को मात्र तर्क के आधार पर निराकरण करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक भगवानदयाल की पत्नी व पुत्री होने व न होने से संबंधित तथ्य मिश्रित साक्ष्य की विषय वस्तु को आवेदकगण की आपत्ति के बावजूद भी रिकार्ड से हटकर स्वीकृत तथ्यों की श्रेणी का मान्य कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अतिरिक्त कलेक्टर ने दिनांक 01–3–16 को अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें यह माना है कि अपीलार्थीगण (निगरानी प्रकरण में अनावेदकगण) मृतक खुशीलाल एवं भगवानदयाल के उत्तराधिकारी हैं। आवेदकगण की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 32	

का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वारिसानों के संबंध में खण्डन करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जिसे अतिरिक्त कलेक्टर न मानते हुये वारियों के संबंध में निर्णय लेने में त्रुटि की है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बिना आवेदकगण को दस्तावेज साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रश्नाधीन अंतरिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है, अतिरिक्त कलेक्टर सीहोर का आदेश दिनांक 01–3–16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगण को दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत वारिसों के संबंध में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लें, तत्पश्चात अंतिम तर्क हेतु प्रकरण नियत करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य